न्यायालय सिविल जज(जू०डि०)हवेली,
फैजाबाद।
असंबंधित प्रकीर्ण वाद सं०-234/2019

कम्प्यूटर रजिस्टेशन सं०-27/2019

लल्लन प्रसाद----------बनाम----------सरकार उ०प्र०।
दिनांक-16.10.2020

पत्रावली पेश हुई। आवेदक मय विद्वान अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदिका श्री लल्लन प्रसाद द्वारा प्रार्थना पत्र 3क अन्तर्गत धारा-372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 समर्थित शपथ पत्र 4ग प्रस्तुत कर कथन किया है कि मृतक स्व० संगम लाल पुत्र स्व० बाबादीन निवासी ग्राम मौजा-बडैला, पोस्ट-तालगांव, परगना व तहसील-रूदौली, जिला-अयोध्या की मृत्यु दिनांक-22.02.2019 को हो गई है तथा आवेदक श्री लल्लन प्रसाद के पिता स्व० संगम लाल का देहान्त दिनांक-22.02.2019 को हो गया है। आवेदक मृतक का पुत्र व विधिक उत्तराधिकारी है। सुघरा देवी, राधेश्वरी, दीपमाला, पुत्रीगण स्व० संगम लाल तथा आवेदक पुत्र लल्लन प्रसाद पुत्र स्व० संगल लाल मृतक के निकटतम संबंधी हैं, जिनका संरक्षक आवेदक श्री लल्लन प्रसाद है। मृतक का कोई अन्य विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। मृतक के नाम खाता सं०-0328110001332 द्वारा मु०-2,24,284/- रूपये देय है। आवेदक बतौर पुत्र/उत्तराधिकारी मृतक द्वारा छोड़ी गयी उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने की विधिक उत्तराधिकारी है। अतः उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

उक्त प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त आपत्ति हेतु सम्मन/नोटिस निर्गत की गयी एवं हर आम खास को आपत्ति हेतु समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया परन्तु किसी अन्य की तरफ से इस स्तर पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 13ग के माध्यम से आधारकार्ड(संगल लाल), आधारकार्ड(लल्लन प्रसाद), मृत्यु प्रमाण-पत्र(श्री संगम लाल), परिवार रजिस्टर, इत्यादि की छायाप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये हैं।

आवेदक की ओर से दाखिल मृतक स्व० संगम लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र, व परिवार रजिस्टर की नकल के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि संगम लाल की मृत्यु दिनांक-22.02.2019 को हो चुकी है तथा आवेदक मृतक संगम लाल का पुत्र है। सुघरा देवी, राधेश्वरी, दीपमाला, पुत्रीगण स्व० संगम लाल तथा आवेदक पुत्र लल्लन प्रसाद पुत्र स्व० संगल लाल मृतक के निकटतम संबंधी हैं, जिनका संरक्षक आवेदक श्री लल्लन प्रसाद है। मृतक के नाम खाता सं०-0328110001332 द्वारा मु०-2,24,284/- के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक की प्रार्थना पत्र में कथित धनराशि मु०-2,24,284/- रूपये देय है। सुघरा देवी, राधेश्वरी, दीपमाला, पुत्रीगण स्व० संगम लाल तथा आवेदक पुत्र लल्लन प्रसाद पुत्र स्व० संगल लाल मृतक के निकटतम संबंधी हैं, जिनका संरक्षक आवेदक श्री लल्लन प्रसाद है, ने अनापत्ति शपथ पत्र पत्रावली पर दाखिल करते हुए उक्त धनराशि को आवेदक श्री लल्लन प्रसाद को प्रदत्त किये जाने कथन किया है। आवेदक के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बावत न ही कोई विवाद है और न ही किसी की ओर से कोई आपत्ति है। आवेदक उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अपने पत्र में जारी किये जाने की याचना किया है।

उपरोक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि आवेदक श्री लल्लन प्रसाद मृतक संगम की विधिक वारिस/पुत्र है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक श्री लल्लन प्रसाद के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 3क स्वीकृत। मृतक के नाम इलाहाबाद बैंक शाखा रूदौली खाता सं०-0328110001332 के द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज के बावत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदक श्री लल्लन प्रसाद के पक्ष में जारी हो। मुंसरिम उक्त धनराशि पर न्याय शुल्क के बावत अपनी रिपोर्ट देवे। इस बावत यदि कोई विपरीत आदेश अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो तो वर्तमान आदेश उस आदेश के अधीन होगा। आवेदिका द्वारा इस संबंध में तीन लाख पचास हजार रूपये की अण्डरटेकिंग दाखिल की जाये कि उत्तराधिकार से संबंधित धनराशि की बावत भविष्य में किसी के द्वारा विवाद किये जाने की स्थिति में उक्त अण्डरटेकिंग की धनराशि न्यायालय में जमा की जायेगी। प्रस्तुत स्टाम्प पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आवेदक श्री लल्लन प्रसाद के पक्ष में जारी हो।

सिवलि जज(जू०डि०)हवेली,
फैजाबाद।